

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक...../छात्र/प्रवेश/2022

जबलपुर दिनांक /04/2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2 के बिन्दु क्रमांक-10 अनुसार अधिष्ठाता द्वारा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी। संस्था के सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम हेतु अधिष्ठाता की अध्यक्षता में निम्नानुसार प्रवेश समिति गठित की जाती है:-

स.क्र.	समिति के सदस्य	कार्य
01	डॉ. पी.के.कसार , अधिष्ठाता	अध्यक्ष प्रवेश समिति
02	डॉ. नटवरलाल अग्रवाल , प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष एनाटॉमी विभाग	सदस्य प्रवेश समिति
03	डॉ. गौतम कुमार , डेसिगनेट प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग	सदस्य प्रवेश समिति

//
अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 4/04/2022

पृ.क्रमांक..31.62...../छात्र/प्रवेश/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
2. महाविधालय के प्रवेश समिति की ओर पालनार्थ प्रेषित।
3. स्थानीय लेखा शाखा/राजपत्रित शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संस्था के वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

/ /
अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर